

(भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड 3(ii) में प्रकाशनार्थ)

फा. सं. 6/6/2021-बीओ-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

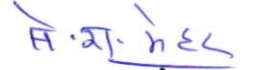
वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

30 अग्रहायण, 1943 (शक)

अधिसूचना

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री बालमुकुन्द सहाय (जन्म तिथि: 5.1.1964) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इंडियन बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।



(एस. आर. मेहर)

निदेशक

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, रिंग रोड

नई दिल्ली